



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175,2737341
E-mail : mpwaqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in
website : www.mpwaqfboard.org

फा0 क. 59 / स्तोर / 2024

3873

भोपाल दिनांक

11/6/24

वाहन नीलामी की सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल के निम्न वाहन कार्यालय में जहाँ हैं, जैसे हैं, विक्रय हेतु सील्ड टेंडर द्वारा नीलामी की जाना है:-

क्रमांक	नीलामी दिनांक	वाहन का पंजीयन क्रमांक	वाहन का प्रकार एवं माडल नं०	अपसेट प्राईस
1.	20.06.2024	एम.पी.04-सी.इ. 6622	फोर्ड आईकॉन / 2009	25000/-
2.	20.06.2024	एम.पी.04-एच.ए. 8075	एम्बेसडर कार / 2003	20000/-

उक्त वाहनों के विक्रय हेतु सील्ड टेंडर निम्नानुसार शर्तों के अधीन आमंत्रित किये जाते हैं:-

- टेण्डरकर्ता द्वारा (प्रत्येक वाहन के लिए) धरोहर राशि रूपये 2500 का बैंक ड्राफ्ट, नगद मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल के नाम से टेण्डर के साथ दिनांक 20.06.2024 समय 3:00 बजे तक कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल में जमा कराना होगा तथा उसी दिन शाम 4:00 बजे उपस्थित टेण्डरकर्ताओं के समक्ष खोला जाएगा। टेण्डर स्वीकार नहीं होने की दशा में धरोहर राशि वापसी योग्य रहेगी।
- वाहन की स्थिति का जायज़ा कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल से किया जा सकेगा।
- उच्चतम कीमत लगाने वाले का टेण्डर स्वीकार किया जावेगा। जिस टेण्डरकर्ता का टेण्डर स्वीकार होगा उसे नीलामी के दिन स्वीकार राशि का 25 प्रतिशत कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल में नगद/चैक द्वारा जमा करानी होगी तथा शेष राशि 07 दिवस में नगद/चैक द्वारा जमा करना आवश्यक होगा, तत्पश्चात ही वाहन की डिलेवरी दी जावेगी।
- टेण्डर स्वीकृत होने के पश्चात यदि टेण्डरकर्ता द्वारा डिलेवरी नहीं ली जाती है, तो धरोहर राशि वापस नहीं होगी तथा वह राशि कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल में राजसात कर ली जावेगी एवं दूसरे उच्चतम कीमत लगाने वाले का टेण्डर स्वीकार कर लिया जाएगा।
- टेण्डरकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत टेण्डर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किसी दशा में स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। जिसके लिये किसी प्रकार का कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
- निर्धारित दिनांक को नीलामी नहीं होने की दशा में आगामी तिथि में नीलामी की जाएगी इसके लिए अलग से विज्ञप्ति नहीं दी जाएगी।

RS/

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल